News-item regarding RBI Audit and Misuse of Exim Scrips

959. SHRI SATISH AGARWAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item appearing in the Times of India dated 1st June, 1996, under the caption "RBI Audit finds rampant misuse of Exim Scrips";

(b) if so, whether any probe has since been ordered into the irregular, excess and double payments to exporters; and

(c) if so, what is the outcome of the probe and what action was taken in the matter?

THE MINISTER OF FINANCE AND THE MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) RBI have reported that certificates of External Auditors of the State Bank of India (SBI) have been received in respect of all SBI branches where payments were made, except Srinagar. In relation to payments in excess of Rs. 5 lacs, each individual case was also scrutinised by the Directorate General of Foreign Trade (DGFT) before payments were made.

In respect of Exim Scrip payments made by the eight centres of DGFT, RBI have reported that the scrutiny of all cases above Rs. 5 lacs has been completed by the Regional Audit Cells of RBI in all centres, except Mumbai. The scrutiny covered 75% of the cases, in monetary terms, and 60% of the cases, in numerical terms. The coverage was very comprehensive. DGFT offices have been advised to effect recovery of wrong/excess payments by them. In a number of cases, the amounts have been recovered RBI is following up the matter in other cases.

औद्योगिक इकाइयों द्वारा कर भुगतान संबंधी सर्वेक्षण

960. **श्री राम जेठमलानी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 जून, 1996 के दैनिक "हिन्दू" में प्रकाशित "स्पेयर जीरो टैक्स कंपनीज: फिक्की" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अभी हाल ही में किये गए एक सर्वेक्षण से ये तथ्य प्रकट हुए हैं कि 15000 औद्योगिक इकाइयों का सर्वेक्षण करने पर 1047 औद्योगिक इकाइयां ऐसी हैं जिनका लाभांश 14,500 करोड़ रुपये के लगभग होने के बावजूद वे सरकार को किसी कर का भुगतान नहीं कर रही हैं;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ये इकाइयां कराधान प्रणाली में विसंगतियों का लाभ उठा रही हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार इस संबंध में कोई व्यापक सर्वेक्षण कराने का विचार रखती है; और

(च) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) जी, हां।

(ख) बंबई स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 2452 कंपनियों के बारे में वित्त वर्ष 1994-95 के आंकड़े एकत्र किए गए थे। उक्त आंकड़ों के विश्लेषण से यह मालूम हुआ कि 2452 कंपनियों में से 14440 करोड़ रु० की खाता लाभ वाली 1047 कम्पनियों ने वित्त वर्ष 1994-95 के लिए अपने खातों में आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया था।

(ग) से (च) आयकर का प्रावधान न किए जाने के कारणों का विश्लेषण करने के लिए सूचना एकत्र नहीं की गई थी। फिर भी, आयकर अधिनियम में अनेक छूटों, कटौतियों, प्रोत्साहनों, लेखा-पुस्तकों में मूल्यह्रास की भिन्न-भिन्न दर और कराधेय आय की संगणना करने आदि के लिए प्रावधान किया गया है। इन छूटों, कटौतियों, प्रोत्साहनों आदि के कुछेक मामलों में कराधेय आय शून्य अथवा बहुत कम होती है।